

फाइल संख्या 354/432/2018-टीआरयू
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(कर अनुसंधान एकक)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त(सभी)/प्रधान महानिदेशक, मुख्य आयुक्त (सभी)/महानिदेशक,

प्रधान आयुक्त (सभी)/आयुक्त (सभी), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय कर

महोदया/महोदय

विषय: जीएसटी की दरों एवं वर्गीकरण (वस्तु) से संबंधित स्पष्टीकरण-की बाबत;

ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निम्नलिखित के बारे में लागू जीएसटी दरों से संबंधित स्पष्टीकरण की मांग की गई है;

- (i) छतुआ या सत्तू;
- (ii) इसे मत्स्य आहार और अन्य कच्ची सामग्री जिसका उपयोग पशु/कुक्कुट/ जलीय जंतु आहार को तैयार करने में किया जाता है;
- (iii) पशु आहार पूरक/फीड एडिटिव्स, जो कि ड्रग्स से तैयार किए गए हैं;
- (iv) घरेलू उपयोग के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस
- (v) पोलीप्रोपिलीन वोवेन और नॉन वोवेन बैग्स और पीपी वोवेन और नान वोवेन बैग्स जो कि बीओपीपी से लेमिनेटेड हों;
- (vi) पलपिंग के लिए वूड लाग्स
- (vii) बैगासी आधारित लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड;
- (viii) इम्बोर्डर फैब्रिक जो कि लैडिज सूट के लिए श्री पीस कपड़ों में बेचा जाता हो
- (ix) ऊर्जा संयंत्र को कचरे की आपूर्ति, अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या 234 का विषय क्षेत्र
- (x) रेलवे का टर्बो चार्जर
- (xi) रिग्स, टूल्स और स्पेयर्स, जो कि सेवा प्रावधानों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाते हों ।

2. इस मामले की जांच-परख की गई है, मुद्देवार स्पष्टीकरण पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है:

3. छतुआ या सतू पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

3.1 छतुआ (हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिसे सतू भी कहा जाता है) पर जीएसटी की प्रयोज्यता के बारे में संदेह उठाए गए हैं।

3.2 छतुआ या सतू पीसी हुई दाल और अनाज के आटे का एक मिश्रण होता है एचएसएन कोड 1106 में आटा, आहार, पाऊडर जो कि मटर, बींस या लेंटिल्स (0713 के अंतर्गत आने वाली सूखी दाल वाली वनस्पतियां) आते हैं। इस प्रकार का आटा जिसमें कि थोड़ी मात्रा में एडिटिव्स मिला होता है, एचएसएन कोड 1106 के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा रहा है। यदि यह गैर ब्रांडेड है तो इस पर शून्य जीएसटी (अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017) लगती है और यदि यह ब्रांडेड और पैक है तो इस पर 5% की जीएसटी (अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की प्रथम अनुसूची-1 की क्रम संख्या 59) लगती है।

4. मत्स्य आहार और अन्य कच्ची सामग्री जिसका प्रयोग पशु/कुक्कुट/जलीय जन्तु आहार को तैयार करने में किया जाता है, पर लागू जीएसटी की दर:

4.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जिनमें पशु/कुक्कुट/जलीय जन्तु आहार को तैयार करने में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री/इनपुट्स पर लागू जीएसटी की दर के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यहां वर्गीकरण से संबंधित विवाद दो अधिसूचनाओं की निम्नलिखित दो प्रविष्टियों के बीच है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

अधिसूचना संख्या	टैरिफ लाईन	विवरण	दर
अधिसूचना संख्या 2/2017- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.6.2017 की क्रम संख्या 102	2301 , 2302, 2308, 2309	जलीय जन्तु आहार जिसमें श्रिम्प आहार, प्रान आहार, कुक्कुट आहार एवं पशु आहार जिसमें घास, भूसा एवं भूस, पूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र एवं एडिटिव्स, गेहूँ की भूसी, तेल रहित खली आते हैं।	कुछ भी नहीं
अधिसूचना संख्या 1/2017- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.6.2017 की क्रम संख्या 103	2301	मछली या क्रस्टासीन्स, मोलाक्स और अन्य जलीय गैर कशेरुकी प्राणी के लिए आटा, आहार और गोलियां, मीट या मीट आफल के जो मानव के लिए उपभोग योग्य न हो; ग्रीन्स	5%

4.2 विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री जैसे कि मत्स्य आहार जो कि शीर्षक 2301 के अंतर्गत आता है, मांस और बोन मील, जो कि शीर्षक 2301 के अंतर्गत आता है, विभिन्न तिलहनों की खली, सोयाबीज, भूसी, शार्प, स्टार्च अवशिष्ट और अन्य प्रकार की सामग्री जो कि शीर्षक 2302, 2303, 2304 आदि के अंतर्गत आते हैं का प्रयोग जलीय जंतु आहार, पशु आहार, मवेशी आहार, कुक्कुट आहार आदि को तैयार करने में किया जाता है। इन कच्ची सामग्रियों/इनपुट्स का प्रयोग पशु और मवेशी आहार के लिए सीधे नहीं किया जा सकता है। सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुम्बई बनाम दिलीप कुमार [2018 (361) E.L.T 577] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि पशु आहार के इनपुट्स पशु आहार से भिन्न होते हैं। उक्त क्रम संख्या 102 में तैयार किए गए जलीय जंतु/कुक्कुट/पशु आहार जो कि शीर्षक 2309 और 2301 के अंतर्गत आते हैं, शामिल हैं। यह प्रविष्टि कच्ची सामग्री/इनपुट्स जैसे कि मत्स्य आहार या मांस सह अस्थि भोजन (एमबीएम) जो कि शीर्षक 2301 के अंतर्गत आते हैं, पर लागू नहीं होती है।

4.4 तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि मत्स्य आहार और मांस सह अस्थि भोजन (एमबीएम) आदि पर अधिसूचना संख्या 1/22017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.6.2017 की क्रम संख्या 103 के अंतर्गत 5% की दर से जीएसटी लगती है।

5. पशु आहार पूरक/फीड एडीटिव्स, जो कि ड्रग्स से तैयार होते हैं पर लागू जीएसटी की दर:

5.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पशु आहार पूरक/फीड एडीटिव्स, जो कि ड्रग्स से तैयार होते हैं पर लागू होने वाली जीएसटी की दर के बारे में भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यह विवाद शीर्षक 2309 और 2936 के बीच पशु आहार पूरक/फीड एडीटिव्स, जो कि ड्रग्स से तैयार होते हैं के वर्गीकरण को लेकर है।

5.2 एचएसएन, 2309 के अनुसार इसमें अन्य बातों के अलावा रिडिंग विटामिन्स और प्रो-विटामिन्स जिनसे पाचन क्रिया में सुधार आता है और जिनसे जानवर अपने आहार का बेहतर प्रयोग करते हैं और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, भी शामिल हैं, दूसरी ओर एचएस कोड 2936 में वे विटामिन्स और प्रो-विटामिन्स आते हैं जिनकी प्राकृति औषधि है और जिनमें सक्रिय प्रदार्थ का संकेन्द्रण अधिक होता है।

5.4 इस प्रकार जहां उन उत्पादों के बारे में, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये पशु आहार के पोषक हैं, के वर्गीकरण के बारे में निर्णय करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी हो सकता है कि उक्त पशु आहार पूरक सामान्य है या जिसे व्यापारिक जगत में पशु आहार के विशेष प्रयोग के उत्पाद के बारे में जाना जाता है।

5.5 किसी उत्पाद का अध्याय 29 (शीर्षक 2936 में बराबर प्रयोज्य), के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि इसका प्रयोग सामान्य रूप से होता हो अर्थात् यदि उत्पाद का प्रयोग विशेष रूप से होता हो जैसे कि मानव जाति के लिए पाचन के पूरक के रूप में, तो ऐसा उत्पाद सामान्य प्रयोग का न होकर विशेष प्रयोग का होता है। विटामिन्स और प्रो-विटामिन्स को सामान्यतया कोड शीर्षक 2936 के अंतर्गत कवर किया जाता है लेकिन जब इनको टेबलेट्स आदि के रूप में पूरक खाद्य आहार के रूप में तैयार किया जाता है तब इनका वर्गीकरण इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से उनको तैयार किया जाता है उस तरह से इनका प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए ही हो सकता है। शीर्षक 2309 के अंतर्गत पशुओं के वही पूरक आहार आते हैं जिनमें विटामिन्स और अन्य अवयव निहित होते हैं- जैसे कि अनाज और प्रोटीन्स। इनको शीर्षक कोड 2309 के अंतर्गत अध्याय 23 में रखा गया है, या ये एंटीबायोटिक उत्पाद होते हैं जिनका प्रयोग पशु आहार में होता है – उदाहरण के तौर पर सिरल मिडलिंग जैसे शुष्क एंटीबायोटिक मास ऑन कैरिअर। इन मदों में आने वाले एंटीबायोटिक अवयव सामान्यतया 8% और 16% के बीच होते हैं। इस प्रकार एच एस कोड 2309 में ऐसे उत्पाद रखे जा सकते हैं, जो कि पूरक के रूप में होते हैं और जिनका प्रयोग पशुओं के पूरक आहार के रूप में विशेष तौर पर होता है और इनका साधारण रूप से कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि विटामिन्स, प्रो-विटामिन्स की आपूर्ति उस रूप में होती है जिस रूप में इनका सामान्य रूप से प्रयोग हो सकता है, जैसे कि इनका तुरंत उपयोग न करके आगे प्रसंस्करण की प्रक्रिया में इनपुट या कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग होता हो तो इनको वर्गीकरण शीर्षक 2336 के अंतर्गत हो सकता है।

6. **घरेलू उपयोग की लिक्विडफाई पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:**

6.1 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अंततः घरेलू उपयोग के लिए रिफाइनर्स/फ्रैक्सनेटर्स (जैसे कि गेल/ओएनजीसी) द्वारा तेल विपणन कंपनियों को की जाने वाली आपूर्ति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र P 20023/2/2011-PP दिनांक 23.07.2013 के अनुसार 5% की दर से जीएसटी लगाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसमें संदर्भ बिंदु यह है कि गेल और ओएनजीसी जैसे रिफाइनर्स/फ्रैक्सनेटर्स घरेलू उपयोग के लिए तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी की आपूर्ति कर रहे हैं और क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रकार की आपूर्ति को घरेलू उपयोग के लिए की गई आपूर्ति नहीं मान रहे हैं।

6.2 यह मुद्दा अधिसूचना संख्या 6/2018, दिनांक 25.01.2018 के तहत अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 में क्रम संख्या 165क को जोड़े जाने के संदर्भ में है। इस प्रविष्टि को जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में आई सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी पर 5% की दर से जीएसटी लगाई गई थी

6.3 यह देखने में आया है कि घरेलू उपयोग की एलपीजी के एलपीजी स्टीम पर अलग तरह से कीमत लगाई जाती है और इसकी भरवाई भी वाणिज्यिक एलपीजी से भिन्न तरह की होती है। घरेलू आपूर्ति के लिए एलपीजी के प्रयोग के बारे में तब पता चलता है जब इनकी आपूर्ति रिफाइनर्स/फ्रैक्सनेटर्स के द्वारा तेल विपणन कंपनियों को की जा रही होती है।

6.4 अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि भारी मात्रा में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी, चाहे इनकी आपूर्ति किसी रिफाइनर्स/फ्रैक्सनेटर्स के द्वारा किसी तेल विपणन कंपनी को हो या एक तेल विपणन कंपनी द्वारा दूसरी तेल विपणन कंपनी को हो, जो कि बोटलिंग या आगे घरेलू उपयोग के लिए हो, को अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के क्रम संख्या 165क के अंतर्गत आएगी। तदनुसार इस पर 25.01.2018 से 5% की दर से जीएसटी लगती है।

7. **पोलीप्रोपीलीन वोवेन, नॉन-वोवेन बैग्स और पीपी वोवेन तथा नॉन वोवेन बैग्स जो कि बीओपीपी से लेमिनेटेड हों, कि आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:**

7.1 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पोलीप्रोपीलीन वोवेन और नॉन-वोवेन बैग्स तथा पोलीप्रोपीलीन वोवेन और नॉन-वोवेन बैग्स जो कि बीओपीपी से लेमिनेटेड हों के वर्गीकरण और उन पर जीएसटी की दर के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई होती है।

7.2 एच एस कोड **39.23** के एच एसएन के स्पष्टीकरण नोट के अनुसार इस शीर्षक के अंतर्गत प्लास्टिक की वह सभी वस्तुएं आती हैं जिनका प्रयोग सभी प्रकार के उत्पादों की पैकिंग और उनके परिवहन में सामान्य रूप से किया जाता है और इनमें बॉक्स, क्रेट्स, कैसेस, सैक्स और बैग्स आते हैं।

7.3 इसके अलावा अध्याय 39 के अध्याय नोट के अनुसार, अभिव्यक्ति "प्लास्टिक्स" शीर्षक 39.01 से 39.14 के अंतर्गत आने वाली उन सभी सामग्री से है, जो कि पॉलीमेराइजेशन के समय या बाद की प्रक्रिया के किसी स्तर पर किसी बाहरी प्रभाव (सामान्यतया उष्मा और दाब, यदि जरूरी हुआ तो साल्वेंट या प्लास्टिसाइजर के प्रयोग से) से मॉल्डिंग, कास्टिंग, एक्सट्रूडिंग, रोलिंग या अन्य किसी प्रक्रिया से ऐसे आकार में बदले जा सकते हैं जिनको बाहरी प्रभाव हटा लेने पर यथावत रखा जा सकता है।

7.4 इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रोलीप्रोपीलीन वोवेन और नॉन-वोवेन बैग्स तथा प्रोलीप्रोपीलीन वोवेन और नॉन-वोवेन बैग्स जो कि बीओपीपी से लेमिनेटेड हों को एचएस कोड 3923 के अंतर्गत प्लास्टिक बैग्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन पर 18% की दर से जीएसटी लग सकती है।

7.5 गैर लेमिनेटेड वोवेन बैग्स का वर्गीकरण उन अवयव सामग्री के आधार पर किया जाएगा जिनसे इनका विनिर्माण हुआ हो।

8. प्लिंग के लिए वूडलाग्स की आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

8.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्लिंग के लिए वूड लाग्स पर जीएसटी दर की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। रफ वूड (जिसमें से छाल निकाली गई हो या नहीं या सैप वूड या रफली स्कवायर्ड) को शीर्षक 4403 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 18% की दर से जीएसटी लगती है।

8.2 एचएसएन के अनुसार शीर्षक 4403 के अंतर्गत निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है:
"चिराई की लकड़ी, टेलीफोन, टेलीग्राफ या इलेक्ट्रीकल पॉवर ट्रांसमिशन लाईन्स के खंभे, अनप्वाइंटेड और अन अनस्पलिट पाईल्स, पिकेट्स, स्केट्स, पोल्स और प्रोप्स, राउंड पिट-प्रोप्स, लॉग्स चाहे क्वार्टर स्प्लिट हो या नहीं, प्लिंग के लिए, राउंड लाग्स, विनियर्स शीट्स आदि के निर्माण के लिए, माचिस की तीलियों, वूड वेयर आदि के विनिर्माण के लिए लाग्स।"

8.3 इस प्रकार ये स्पष्ट किया जाता है कि वूड लाग्स या ऐसी किसी भी प्रकार की लकड़ी जो कि रफ/टिम्बर रूप में हो, जिसमें प्लिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रफ/लाग्स/टिम्बर भी शामिल है, को शीर्षक 4403 के अंतर्गत रखा गया है और इन पर 18% की दर से जीएसटी लगाई जाती है।

9. बगासी आधारित लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड की आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

9.1 ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बगासी आधारित लेमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड पर जीएसटी दर की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस संदर्भ में यह कहना है कि बगासी बोर्ड को अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) की अनुसूची-11 में क्रम संख्या 92 में विशेष प्रविष्टि के रूप में रखा गया है। तदनुसार उक्त प्रविष्टि में आने वाले बगासी बोर्ड 44 या अन्य किसी अध्याय में आते हैं और इन पर 12% की दर से जीएसटी लगती है। इसके अलावा इस बारे में यह भी कहना है कि उक्त प्रविष्टि में "बगासी बोर्ड" के विवरण में बगासी बोर्ड (प्लेन या लेमिनेटेड) भी आते हैं।

9.2 इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि बगासी बोर्ड [प्लेन या लेमिनेटेड] अध्याय 44 के अंतर्गत आता है और इस पर 12% की दर से जीएसटी दर लगाई जाती है।

10. लेडिज सूट के लिए थ्री-पीस के रूप में बेचे जाने वाले एम्ब्रोयडर्स फैब्रिक्स की आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

10.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें लेडिज सूट के लिए थ्री-पी फैब्रिक पैक/सेट (सूट, सलवार और दुपट्टा के लिए फैब्रिक) के रूप में बेचे जाने वाले इंब्रोयडर फैब्रिक की आपूर्ति पर लागू जीएसटी दर के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस बारे में यह बताया गया है कि रेडीमेड आर्टिकल या किसी परिधान को बनाए जाने के पूर्व इस

फैब्रिक को बंडल या थान से काटा जाता है और इसको बिना सीले हुए बेचा जाता है जिन पर कुछ गोटा जैसे जरी का काम होता है। उपभोक्ता इनको सैटो या पिसिस में खरीदते हैं और फिर इनकी सिलाई करवाते हैं जिसमें फैब्रिक को शेष में काटे जाने और उसकी सिलाई किए जाने का काम होता है। अब संदेह यह पैदा किया गया है कि इन सैटो/पैकों में ऐसे तीन फैब्रिक पीसों पर लागू दर क्या है।

10.2 फैब्रिक्स का वर्गीकरण उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 55 और 60 के अंतर्गत किया जाता है तथा इन पर 5% की समान दर से जीएसटी लगाई जाती है। परिधान और कपड़े की निर्मित वस्तुओं को अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत रखा गया है और जब इनका मूल्य 1000 रुपए प्रति पीस होता है तो इन पर 5% की दर से जीएसटी लगती है और जब इनका मूल्य 1000 रुपए प्रति पीस से अधिक होता है तो इन पर 12% की दर से जीएसटी लगती है।

10.3 इसके पहले परिपत्र संख्या 13/13/2017-सीजीएसटी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को जारी करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विभिन्न लंबाई के टुकड़ों में फैब्रिक्स की पैकिंग किए जाने मात्र से ही इस वस्तु की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है और ऐसे फैब्रिक्स के टुकड़ों को संबंधित शीर्षक के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जा सकता है और इस फैब्रिक्स पर 5% की दर से जीएसटी लगाई जा सकती है। यह वर्गीकरण उन फैब्रिक्स के उन श्री पीसिस पर भी लागू होता है जो कि लेडिज सलवार सूट के पैक के रूप में बेची जाती हैं। इन फैब्रिक पीस पर की गई इंब्राइडरी या सजावट से इन फैब्रिक की मूलभूत प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अध्याय 63 में परिधानों को कवर किया गया है जिनमें बिना सीले हुए कपड़े भी आते हैं जो कि परिधान या परिधान के हिस्से के रूप में पहचाने जा सकते हैं। बहरहाल शीर्षक 6307 में कोई फैब्रिक्स पीस या फैब्रिक्स पीस के सेट, चाहे इन पर इंब्रोयडरी या सजावट की गई हो या नहीं, नहीं आएंगे। फैब्रिक पीस के इन सेट पर 5% की दर से जीएसटी लगेगी।

11. ऊर्जा संयंत्र को कचरे की आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

11.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो कि अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2018 की अनुसूची-1 के क्रम संख्या 234 के अनुसार ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में प्रयुक्त वस्तुओं पर जीएसटी दर की प्रयोज्यता के बारे में पूछा गया है। उक्त प्रविष्टि 234 में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों एवं उनके कलपुर्जों पर, उनके निर्माण हेतु 5% की दर से जीएसटी लगाई जाती है, यथा:-

- (क) बायो-गैस संयंत्र
- (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण
- (ग) सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणाली
- (घ) विंड मिल्स, विंड ऑपरेटेड इलैक्ट्रिसिटी जनरेटर (WOEG)
- (ङ) ऊर्जा संयंत्र कचरे/उपकरण
- (च) सोलर लैंटर/सोलर लैंप
- (छ) समुद्री तरंगे/ज्वारीय तरंग ऊर्जा उपकरण/संयंत्र
- (ज) फोटो वोल्टेइक सेल्स, चाहे मॉड्यूलस में एसेम्बल्ड हो या नहीं या पैनल्स में लगे हो या नहीं

11.2 यह अधिसूचना विशेषकर उन वस्तुओं पर लागू होती है जो कि टैरिफ के अध्याय 84, 85 और 94 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यह रियायत केवल उन्हीं मशीनरी और उपकरणों आदि पर लागू होगी जो कि अध्याय 84, 85 और 94 के अंतर्गत आती हैं और जिनका प्रयोग नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों और उपकरणों, डब्ल्यूटीईपी समेत, की प्रारंभिक स्थापना में होता है। इस प्रविष्टि में वे वस्तुएं नहीं आती हैं जो कि अन्य अध्यायों में वर्गीकृत है जैसे कि अध्याय 87 के

अंतर्गत आने वाले परिवहन वाहन, जिनका प्रयोग डब्ल्यूटीईपी के कचरे को लाने-लेजाने के लिए किया जा सकता है ।

11.3 इससे संबंधित प्रकट की गई दूसरी शंका यह है कि कैसे कोई आपूर्तिकर्ता अपने को इस बात से संतुष्ट करे कि अध्याय 84, 85 और 94 के अंतर्गत आने वाली कोई वस्तु जैसे कि मान लीजिए टरबाईन या बॉयलर, जो कि डब्ल्यूटीईपी के लिए जरूरी है का प्रयोग डब्ल्यूटीईपी में होगा । इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएसटी को कर दाता द्वारा स्वतः आकलित किया जाना है । अतः उक्त प्रविष्टि 234 के अंतर्गत रियायत का दावा करने के लिए इन वस्तुओं की आपूर्ति करने के पहले उसे क्रेता के डब्ल्यूटीईपी के आपूर्ति अनुबंध/आदेश जैसे कागजातों से, अपने को यह संतुष्ट करने की जरूरत होगी ।

12. रेलवे के लिए टर्बो चार्जर की आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

12.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रेलवे को आपूर्ति किए जाने वाले टर्बो चार्जर के वर्गीकरण और उन पर लागू जीएसटी की दर के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गई है । इस संदर्भ में यह कहना है कि कुछ आपूर्तिकर्ता टर्बो चार्जर का वर्गीकरण, जिनकी आपूर्ति वे रेलवे को करते हैं, अध्याय 86 के अंतर्गत करते हैं और इन पर 5% की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं ।

12.2 टर्बो चार्जर एक टरबाईन-ड्राईगन फोर्स इंडक्शन उपकरण हैं जिससे इंजन की अंतर्दहन क्षमता बढ़ जाती है और इसका पावर आउटपुट भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे कम्बशन चैंबर में अतिरिक्त कम्प्रेस्ट वायु भर जाती है । इसमें एक कम्प्रेसर होता है जो कि टरबाईन से चलता है और यह टरबाईन इंजन से निकली गैस से चलती है ।

12.3 टर्बो चार्जर को विशेष रूप से एच एस कोड 8414 80 30 अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । इसे इस कोड के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जा रहा है चाहे रेलवे इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से क्यों न करे । अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि टर्बो चार्जर को शीर्षक 8414 के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाता है और इस पर 18% की दर से जीएसटी लगाई जाती है ।

13. क्रेन, रिग्स, ट्रल्स और स्पेयर्स और थर्मो मशीनरी जब इनकी आपूर्ति किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ओर से सेवाओं की आपूर्ति में प्रयोग किए जाने के लिए की जा रही हो तो उस समय इनकी आपूर्ति पर जीएसटी की प्रयोज्यता:

13.1 एक परिपत्र संख्या 21/21/2017-जीएसटी, दिनांक 22.11.2017 को जारी करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि रिग्स, ट्रल्स और स्पेयर्स तथा पहियों पर चलने वाले सभी सामानों के अंतर-राज्यीय आवागमन पर कोई आईजीएसटी नहीं लगाई जाएगी । संदेह टावर क्रेन, रिग्स, बैचिंग प्लांट्स, कंक्रीट्स पम्पस और मिक्सर्स जो कि पहिए पर नहीं लगे होते हैं लेकिन जिनके नियमित परिवहन के लिए वाहन की आवश्यकता होती है (जिनका प्रयोग कंपनियों अवसंरचना निर्माण में करती है) के अंतर-राज्यीय आवागमन पर जीएसटी की प्रयोज्यता को लेकर व्यक्त किया गया है

13.2 किसी सेवा प्रदाता द्वारा अपनी ओर से सेवा के प्रावधान के लिए वस्तुओं के किसी अंतर-राज्यीय आवागमन, जिसमें की ऐसी वस्तु के हक का अंतरण या वस्तु का अंतरण किसी निश्चित व्यक्ति को स्टॉक अंतरण के रूप में नहीं होता है, को ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं माना जाता है । अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी ओर से इस प्रकार

किया गया कोई परिवहन (धारा 25 के अनुसार जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति शामिल न हो), जहां ऐसे परिवहन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं की आगे कोई आपूर्ति करना न हो, वहां इसे आपूर्ति नहीं माना जाता है और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है ।

14. इस बारे में यदि कोई कठिनाई हो तो उसे तत्काल बोर्ड की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीय,

(महिपाल सिंह)
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू-1)